

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
लेखराज मार्केट-11, द्वितीय तल, फँजाबाद रोड इन्दिरा नगर, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त/
प्रभारी जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उ०प्र०।

पत्रांक: / भ०नि०बो०(265 ए(2))-17

दिनांक:-

विषय: उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों के पंजीयन हेतु भारत सरकार के निर्देश के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या- Z-20011/05/2010-BL दिनांक-12.07.2013 के द्वारा मनरेगा में 50 अथवा उससे अधिक दिनों तक कार्य करने वाले श्रमिकों को पंजीयन हेतु पात्र माने जाने के संबंध के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त के संबंध में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं०- Z-20011/03/2007-BL दिनांक-10.02.2017(छायाप्रति संलग्न) द्वारा मनरेगा श्रमिकों के 50 दिन के नियोजन के संबंध में जारी पूर्व निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।

अतएव उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अब श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में अधिनियम की धारा 12(1) में दिये गये प्राविधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय

(बी०जे० सिंह)

सचिव, बोर्ड।

पत्रांक: 5899-04 / भ०नि०बो०(265 ए(2))-17

दिनांक:- 22/2/17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, श्रम/अध्यक्ष, बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
5. श्री प्रभात निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ कि भारत सरकार के उक्त निर्देश को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(बी०जे० सिंह)

सचिव, बोर्ड।



उत्तर प्रदेश/अनुसूचित कर्म/2017

73

No. Z-20011/03/2007-BL

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

Jaisalmer House, Mansingh Road
New Delhi - 110011, Dated the 10th February, 2017

To,
Principal Secretary/ Secretary
Department of Labour
All State/ UTs Government

Subject:- Registration of MNREGA workers under the Building and Other Construction Workers (RECS) Act, 1996 – withdrawn thereof.

Sir/Madam,

Reference is invited to Para 6 (a) of this Ministry's letter No. Z-20011/05/2010-BL dated 12th July, 2013, thereby directions were issued under Section 60 of the Building and Other Construction Workers (RECS) Act, 1996.

2. Directions were issued by this Ministry's letter under reference regarding registration of MNREGA workers who have completed 50 days of work in a year under MNREGA under BOCW (RECS) Act on the basis of simpler process like self-certification by the applicants or certification by Panchayats etc.

3. The issue of registration of MNREGA workers as beneficiary under the Building and Other Construction Workers (RECS) Act, 1996 has been re-examined in the Ministry and it has been decided to withdraw these directions.

4. State governments are requested to follow the provisions for registration of building workers as given in Section 12(1) of the Act.

Yours faithfully,

VSEKI

17.2.17

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(A.K. Singh)

Under Secretary to the Government of India
Telefax: 011 - 23387603

श्रीमती राजेश्वरी / श्रीमान्
के.एम. / श्रीमती रंजना / श्री उमाशंकर

- सभी जायदों को नकल के
द्वारा किया जाये।
- जायदों को नकल के

2314

22.2.17

22/11/17
ES-1